CF 144
1116

प्रतिलिपि हेतु आवेदन की तारीख	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या उपस्थित करने की निश्चित तारीख	अपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख	तारीख जबकि प्रति देने के लिए तैयार थी	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख
8-6-98	8-6-98	12-6-98	12-6-98	13-6-98

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा

आदेश-फलक

(देखें अभिलेख हस्तक १९५१ का नियम १२९)

आदेश फलक — दिनांक — से — तक

जिला - गुमला केस नं० SAR 28/97

लिविन उरांव

VS

दुखु नायक

आदेश की क्रम सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
2.5.98 8/1116	यह वाद आवेदक लिविन उरांव पे० लूकस चन्दा उरांव साकिन बिजरी सामटोली थाना सिमडेगा जिला गुमला के इस आवेदन पर आरम्भ की गई कि मौजा बिजरी के खाता सं० 80	

Sample output to test PDF Combine only

प्लॉट सं० 2363 रकबा 0.04 ए० जमीन को विपक्ष के दुखु नायक पे० स्व० कैरू नायक साकिन खजरी सामटोली, थाना सिमडेगा जिला गुमला ने नाजायज ढंग से कब्जा कर लिया है बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अन्तर्गत जमीन वापस दिलवाया जाय।

तदनुसार उभय पक्षों को सूचना निर्गत की गई उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। विपक्ष द्वारा जवाब दाखिल किया गया। विपक्ष ने अपने जवाब में लिखा कि प्रक्रिया की जमीन को विपक्षी के दादा देवलाल नायक ने सर्वे बनने के बहुत पहले ही अर्वेदक के बड़े भाई पियुस डांग से जमीन खरीदकर उसमें रहने लायक एक खपड़ा मकान बनाया है जिसपर उसी समय से सपरिवार रहते चले आ रहे हैं। विपक्षी का प्रक्रिया की जमीन पर 50 वर्षों से भी अधिक

9/11/16

Sample output to test PDF Combine only

अधिक समय से मकान है। इस जमीन
के अलावे दूसरा मकान नहीं है। विपक्षी
हरिजन है तथा इसके खरीद बिक्री
में किसी प्रकार का धारणा बाधा नहीं
किया है। हम परेशानी से बचने के
लिए उचित मुआवजा भुगतान करने
हेतु तैयार हैं।

आवेदक के अधिवक्ता/सहायक
सरकारी अधिवक्ता तथा विपक्ष
के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि
इनके बड़े भाई पितुम उर्फ ने
विपक्ष के दादा को प्लाट करने के
बहुत पहले ही मौखिक बेच दिया
है जिसपर विपक्ष घर बनाकर
रहते आ रहे हैं। इस जमीन दे
दिए हैं और उसपर विपक्षी मकान
बनाकर रह रहे हैं। इसी स्थिति

11/6

संपत्ति में हक जमीन की बाबत लेना नहीं चाहते, किन्तु उचित मुआवजा दिलाया जाय।

विपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि हमारे दादा देवलाल नायक ने जनकिया की जमीन को आवेदक के बड़े भाई से मौखिक खरीदा है तथा उसी समय उन्होंने रहने लायक घर बनाया तथा उसी में रहते आए उनकी मृत्यु के बाद पिताजी रह रहा है। यह खरीद बिक्री सर्वे बनने के बहुत पहले का है। हम उचित मुआवजा देने हेतु तैयार हैं। हमारा हक दखल सम्पुष्ट कर दिया जाय।

6/11/16

आवेदक की ओर से मालगुजारी रसीद एवं फर्द पर्चा की फर्द दाखिल किया गया। विपक्ष द्वारा कोई कागजात दाखिल नहीं किया गया है।

अतः आवेदक के अधिवक्ता/विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता, विपक्ष के

विपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की सुनने, दाखिल कागजात का अवलोकन पश्चात मौजा खिजरी के खाता सं० 60 प्लाट सं० 2363 रकबा 0.04¼ ए० हेतु प्रति डी० 1500/ रुपये की दर से 0.04¼ ए० का मो० 6375 (छः हजार तीन सौ पचहत्तर) रुपये क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित किया जाता है। विपक्ष इस आदेश के एक पक्ष के अन्दर न्यायालय में उपस्थित होकर निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान आवेदक को करें तथा उक्त कब्जा सम्पुष्ट किया जा रहा है।

लेखापित एवं संशोधित
ह० अस्पष्ट
2/5
अनुमण्डल पदाधिकारी
सिमडेगा।

ह० अस्पष्ट
2/5/98
अनुमण्डल पदाधिकारी
सिमडेगा

05.06.98

उभय पक्ष उपस्थित है। विपक्ष द्वारा सहायक सरकारी अधिवक्ता

Sample output to test PDF Combine only

अधिवक्ता के पहचान पर आवेदक
को मो० 6375/ रुपये का भुगतान
किया गया।

तदनुसार मौजा खिजरी के खाता
सं० 80 प्लॉट सं० 2363 रकबा 0.04 ए०
भूमि पर विपक्षी का दखल कब्जा
समझा किया जाता है

sd/ S.N. Sinha
5/6/98
अनुमंडल पदा०
रांची

संशोधित

sd/ S.N. Sinha

अनु० पदा०
Ranchi

Identified Libin Oraon he received full compensation amount of Rs 6375/- rupees Six thousand three hundred and seventy five only and have appended thumb impression in my presence

Sd/ Illegible
Advt. 11/6/98

LTI
Libin Oraon

[illegible] 10/6/98

[illegible] 11/6

[illegible] 12/6/98

4.00
6.00
4.65
1
14.65

[illegible] 12/6/98